



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042025-262467  
CG-DL-E-16042025-262467

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1698]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2025/चैत्र 26, 1947

No. 1698]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2025/CHAITRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2025

का.आ. 1729(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (xi) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित पदार्थ, लवण और उनकी निर्मितियों को निर्मित औषधि घोषित करती है, अर्थातः-

ब्यूटोनिटाज़ीन : एन, एन-डाइएथिल-2-[(4-ब्यूटोक्सीफेनिल)मिथाइल]-5-नाइट्रो-1 एच-बेन्ज़िमिडाज़ोल-1-एथेनामाइन

[फा. सं. एन-12011/8/2023-एनसी-II]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2025

**S.O. 1729(E).**— In exercise of the powers conferred by Sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares the following substance, salt and preparations thereof to be manufactured drugs, namely:-

Butonitazene : *N, N*-Diethyl-2-[(4-butoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1*H*-benzimidazole-1-ethanamine

[F. No. N-12011/8/2023-NC. II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2025

**का.आ. 1730(अ).**— चूंकि केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या कृत्रिम) या प्राकृतिक सामग्री या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के किसी लवण या निर्मिति की प्रकृति और प्रभाव तथा उनके दुरुपयोग की गुंजाइश और ऐसे पदार्थों के संबंध में संशोधन तथा मनःप्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1971 में सम्मिलित किए गए परिवर्तनों के संबंध में, उसे उपलब्ध हुई सूचना और साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट है कि निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या लवणों या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के निर्मिति को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ना आवश्यक है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 110ZZE और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व वाले नाम	अन्य गैर-स्वामित्व वाले नाम	रासायनिक नाम
"110ZZF		3-क्लोरोमेथकैथिनोन (3-सीएमसी)	1-(3-क्लोरोफेनिल)-2-(मिथाइलैमिनो) प्रोपेन-1-एक
110ZZG		डिपेन्टाइलोन	1-(1,3-बेंजोडायऑक्सोल-5-वाइएल)-2-(डाइमिथाइलैमिनो) पेंटन-1-एक
110ZZH		2-फ्लोरोडेक्लोरोकेटामाइन	2-(2-फ्लोरोफिनाइल)-2-(मेथिलैमिनो) साइक्लोहेक्सन-1-एक
110ZZI		ब्रोमाज़ोलम	ब्रोमो-1-मिथाइल-6-फेनिल-4एच-एस-ट्रायज़ोलो[4,3- ए ][1,4]बेंजोडायज़ेपीन

[फा. सं. एन-12011/8/2023-एनसी-II]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

**नोट:** स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची में पहला संशोधन संख्या का. आ. 785(अ) दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के माध्यम से किया गया था और इसमें बाद में संख्या का. आ. 49(अ) दिनांक 8 जनवरी, 1993, का. आ. 39(अ) दिनांक 12 जनवरी, 1996, का. आ. 475(अ) दिनांक 11 जून, 2003, जीएसआर 621(अ) दिनांक 1 अगस्त, 2003, जीएसआर 1(अ) दिनांक 2 जनवरी, 2004, का. आ. 311(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2011, का. आ. 376(अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015, का. आ. संख्या 2374(अ) दिनांक 12 फरवरी, 2015, जुलाई, 2016, का. आ. संख्या 1383 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, का. आ. 821 (अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, का. आ. 1761 (अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018 और का. आ. 3448 (अ) दिनांक 13 जुलाई, 2018, का. आ. 1352 (अ), दिनांक 13 मार्च 2019, का. आ. 1275 (अ), दिनांक 23 मार्च 2021, का. आ. 4428 (अ), दिनांक 22 सितंबर 2022, का. आ. 5319 (अ), दिनांक 16 नवंबर, 2022 और का. आ. 578 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 2024 के माध्यम से संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2025

**S.O. 1730(E).**— Whereas the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effect of and the scope for abuse of the following substances (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substances or materials, and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances, 1971, that it is necessary to add the following substances or natural materials or salts or preparation of such substances or materials in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the said Act, namely:-

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110ZZE and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be inserted, namely :-

S. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
“110ZZF		3-Chloromethcathinone (3-CMC)	1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one
110ZZG		Dipentylone	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)pentan-1-one
110ZZH		2-Fluorodeschloroketamine	2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one
110ZZI		Bromazolam	Bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

[F. No. N-12011/8/2023-NC. II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

**Note:** The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended, vide number S.O. 785(E), dated the 26<sup>th</sup> October, 1992 and subsequently amended, vide numbers S.O. 49(E), dated the 8<sup>th</sup> January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12<sup>th</sup> January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11<sup>th</sup> June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1<sup>st</sup> August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2<sup>nd</sup> January, 2004, S.O. 311 (E), dated the 10<sup>th</sup> February, 2011, S.O. 376(E), dated the 5<sup>th</sup> February, 2015, S.O. No. 2374 (E), dated the 12<sup>th</sup> July, 2016, S.O. No. 1383 (E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 2017, S.O. 821(E), dated the 27<sup>th</sup> February, 2018, S.O. 1761(E), dated the 26<sup>th</sup> April, 2018 and S.O. 3448(E) dated the 13<sup>th</sup> July, 2018, S.O. 1352(E), dated the 13<sup>th</sup> March 2019, S.O. 1275(E), dated the 23<sup>rd</sup> March 2021, S.O. 4428(E), dated the 22<sup>nd</sup> September 2022, S.O. 5319 (E), dated the 16<sup>th</sup> November, 2022 and S.O. 578(E), dated the 8<sup>th</sup> February, 2024.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2025

का.आ. 1731(अ).— स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (vii) और (xxii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का. आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचनाओं में, सारणी में, क्रम संख्या 238 ZZZG और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां क्रमशः अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

क्र. सं.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ का नाम (अंतरराष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (आईएनएन))	अन्य गैर-स्वामित्व वाले नाम	रासायनिक नाम	अल्प मात्रा (ग्राम में) (एकल खुराक ग्राम x 100 में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम में) (अल्प मात्रा ग्राम x 50 में)
“238ZZZH	ब्यूटोनीटाज़ीन		एन, एन-डाइएथिल-2-[[4-ब्यूटोक्सीफेनिल]मिथाइल]-5-नाइट्रो-1 एच-बेन्ज़िमिडाज़ोल-1-एथेनामाइन	5 ग्राम	250 ग्राम
238ZZZI		3-क्लोरोमेथकैथिनोन (3-सीएमसी)	1-(3-क्लोरोफेनिल)-2-(मिथाइलैमिनो) प्रोपेन-1-एक	5 ग्राम	250 ग्राम
238ZZZJ		डिपेन्टाइलोन	1-(1,3-बेंजोडायऑक्सोल-5-वाइएल)-2-(डाइमिथाइलैमिनो) पेंटन-1-एक	2 ग्राम	100 ग्राम
238ZZZK		2-फ्लोरोडेस्कलोरोकेटा माइन	2-(2-फ्लोरोफिनाइल)-2-(मेथिलैमिनो)साइक्लोहेक्सन-1-एक	5 ग्राम	250 ग्राम
238ZZZL		ब्रोमाज़ोलम	ब्रोमो-1-मिथाइल-6-फेनिल-4एच-एस-ट्रायज़ोलो [4,3- क] [1,4] बेंज़ोडायज़ेपीन	0.1 ग्राम	5 ग्राम

[फा. सं. एन-12011/8/2023-एनसी-II]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का. आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में इसमें का. आ. 2941 (अ), दिनांक 18 नवंबर, 2009, का. आ. 1430 (अ), दिनांक 21 जून, 2011, का. आ. 375 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015, का. आ. 2375 (अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016, का. आ. 384 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, का. आ. 822 (अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, का. आ. 1762 (अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018, का. आ. 1351 (अ), दिनांक 13 मार्च, 2018 द्वारा संशोधन किया गया था। 2019, का. आ. 1276 (अ), दिनांक 23 मार्च 2021, का. आ. 4429 (अ), दिनांक 22 सितंबर 2022, का. आ. 5320 (अ), दिनांक 16 नवंबर, 2022 और का. आ. 578 (अ), दिनांक 8 फरवरी, 2024 के माध्यम से बाद में संशोधन किया गया।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2025

**S.O. 1731(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (vii) and (xxii) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1055 (E), dated the 19<sup>th</sup> October, 2001, namely:-

In the said notifications, in the Table, after serial number 238 ZZZG and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be inserted, namely: -

S. No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary names (INN))	Other non-proprietary names	Chemical name	Small Quantity (in gm.) (Single dose in gm X 100)	Commercial Quantity (in gm.) (Small quantity in gm X 50)
“238ZZZH	Butonitazene		<i>N,N</i> -Diethyl-2-[(4-butoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazole-1-ethanamine	5gm	250gm
238ZZZI		3-Chloromethcathinone (3-CMC)	1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	5 gm	250gm
238ZZZJ		Dipentylone	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)pentan-1-one	2 gm	100 gm
238ZZZK		2-Fluorodeschloroketamine	2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one	5 gm	250 gm
238ZZZL		Bromazolam	Bromo-1-methyl-6-phenyl-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i> ][1,4]benzodiazepine	0.1 gm	5 gm

[F. No. N-12011/8/2023-NC. II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1055 (E), dated the 19<sup>th</sup> October, 2001 and subsequently amended vide numbers S.O. 2941 (E), dated the 18<sup>th</sup> November, 2009, S.O. 1430 (E), dated the 21<sup>st</sup> June, 2011, S.O. 375 (E) dated the 5<sup>th</sup> February, 2015, S.O. 2375(E), dated the 12<sup>th</sup> July, 2016, S.O. 384 (E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 2017, S.O. 822(E), dated the 27<sup>th</sup> February, 2018, S.O. 1762(E), dated the 26<sup>th</sup> April, 2018, S.O. 1351 (E), dated the 13<sup>th</sup> March 2019, S.O. 1276 (E), dated the 23<sup>rd</sup> March 2021, S.O. 4429 (E), dated the 22<sup>nd</sup> September 2022, S.O. 5320 (E), dated 16<sup>th</sup> November, 2022 and S.O. 578(E), dated the 8<sup>th</sup> February, 2024.